राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .670/2015.....जिला.....जयपुर..

उनवान– मैसर्स यश एन्टप्राईजेज, ए–3, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर बनाम् वा.क.अ.,प्रतिकरापवंचन वृत्त–द्वितीय, राजस्थान जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.2015	**खण्डपीठ** **श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल,सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **06.05.2015,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें **वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर** (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की **धारा 25, 55 व 61** के तहत् **निर्धारण वर्ष 2013–14** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **12.03.2015 के जरिये कायम मांग राशि** की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर, **रू.9,22,026/–** की वसूली पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा जमील जई व विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु दिनांक **19.05.2015** को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अध्ययन व अवलोकन पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि हस्तगत प्रकरण में सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किया गया सर्वेक्षण जिन गवहों की उपस्थिति में किया गया है, वे अपीलार्थी व्यवहारी के कर्मचारी है कि नहीं ? उक्त महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिन्दु अन्तर्वलित है। अतः **गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, यह पीठ अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार कर, रू.9,22,026/–**की वसूली कार्यवाही पर सशक्त अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में **पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में,** अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।** (मदन लाल) सदस्य (बी.के.मीणा) अध्यक्ष	